Section but the proposals of colleges which are affiliated and registered under this Section should be considered. My first supplementary question is May I know whether the Government would consider this long pending proposal during the current financial year?

SHRI ARJUN SINGH: Sir, we will certainly consider it. I will try my best to see that this is decided during this financial year.

SHRI T.R. ZELIANG: The Minister, in his reply to (d) has said, "The UGC has reported that they have not received any representation from either the Nagaland University or the Association referred to." In (e), he has said, "Does not arise." Here, I would like to inform the House that the Private College Principals' Association had submitted a representation on 12th October, 2004 to the Chairman, UGC, who was reminded by an hon. M.P. from Lok Sabha and myself.

MR. CHAIRMAN: What is your question?

SHRI T.R. ZELIANG: Sir, we met the Chairman, UGC, personally. We have discussed the matter, but the Minister has stated that the UGC has not received any proposal from any association. I would like to urge the hon. Minister, through you, since the Nagaland Private Colleges Principals' Association has submitted its representation, my second supplementary question is whether the Government would look into the matter and consider their grievances?

SHRI ARJUN SINGH: Sir, the UGC has given the reply which is read out in the statement. But, if, to the contrary when the hon. Member says that a memorandum has been submitted, I would try to find out why it is nor reflected in the reply.

गणतंत्र दिवस के अवसर पर बहादुरी के लिए पुरस्कार जीतने वाले बच्चों का भविष्य संवारा जाना

*627.**श्री मती प्रेमा करियप्पा: ††**
श्री संजय राजाराम राउत:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वीरता के कार्य के लिए गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों का भविष्य संवारने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या हैं:,

---

†† सभा में यह प्रश्न श्रीमती प्रेमा करियप्पा द्वारा पूछा गया ।

(ख) गत पांच वर्षो में कितने बच्चों को पुरस्कार प्रदान किए गए तथा उन्हें उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है तथा उन्हें यह सुविधाएं कितनी आयु तक उपलब्ध कराई जायेंगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)ः (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कारों का आरम्भ भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा वर्ष 1957 में किया गया । 1860 के सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम XXI के अन्तर्गत भारतीय बाल कल्याण परिषद का पंजीकरण 5 जून, 1952 को गैर-सरकारी संगठन के रूप में किया गया । ये वीरता पुरस्कार प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस से पहले माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बच्चों को प्रदान किए जाते हैं । तत्पश्चात ये पुस्कार प्राप्तकर्त्ता बच्चे गणतंत्र, दिवस परेड में भी भाग लेते हैं । इन पुरस्कारों के लिए गठित चयन समिति में प्रमुख सामाजिक कार्यकर्त्ता, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि तथ विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं ।

भारतीय बाल कल्याण परिषद ने पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता बच्चों के विकास एंव उनकी व्यावसायिक उन्नति के लिए भारत सरकार के सक्रिया सहयोग एंव सहायता से अनेक उपाय आरम्भ किए है । ये उपाय इस प्रकार हैः

(i) स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय ने एम.बी.बी.एस. पाठयक्रम में इन पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं के लिए स्थान (एक वर्ष में अधिकतम दो) आरक्षित किए है ।

(ii) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग ने अभियान्त्रिकी के डिप्लोमा एंव डिग्री पाठ्यक्रमों में इन पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं के लिए स्थान(एक वर्ष में अधिकतम तीन) आरक्षित किए हैं ।

(iii) रेल मंत्रालय इन पुरस्कार प्राप्तकत्ताओं को 18 वर्ष की आयु होने तक निःशुल्क रेल यात्रा सुविधाएं प्रदान करता है ।

इनके अतिरिक्त, भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं के विकास के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधाएं इस प्रकार हैः

(iv) पात्र पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं को भारतीय बाल कल्याण परिषद के प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूली शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं । इस सहायता के लिए पात्रता की शर्त यह है कि पुरस्कार प्राप्तकर्ता की कुल पारिवारिक आय 2500/- रुपये प्रतिमाह से अधिक न हो।

(v)मरोणोंपरान्त पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों के सगे भाई-बहनों को परिषद के प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत पात्र होने पर उनकी स्कूली शिक्षा हेतु भारतीय बाल कल्याण परिषद के प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्रदान की जाती है ?

(vi) स्नातक, अभियान्त्रिकी, चिकित्सा जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी इन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(ख) वर्ष 2000 से 2004 तक पिछले पांच वर्षो के दौरान पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 114 हैं। इन बच्चों को उनकी आयु, उनके शिक्षा पाठ्यक्रमों एंव पात्रता के अनुसार उपर्युक्त सुविधाएं प्रदान की जा रही है।

Career progression of Republic Day bravery award winning **children**

†*627. SHRIMATI PREMA CARIAPRA:††
SHRISANJAY RAUT:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the details of the facilities provided to the children, for their career progression, who are awarded for an act of bravery by Government on the occasion of Republic Day; and

(b) the number of the children awarded during the last five years alongwith the details of the facilities being provided to them and the maximum age upto which such facilities would continue?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The National Bravery Awards for children were instituted by the Indian Council for Child Welfare in 1957. The Indian Council for Child Welfare was registered as a non-government organisation under the Societies Registration Act XXI of 1860 on 5th June, 1952. The Awards are presented by the Hon'ble Prime Minister of India prior to Republic Day every year. The Awardees subsequently participate in the Republic Day parade. Prominent social workers, representatives of NGOs and representatives of various Government Departments form part of the Selection Committee.

ICCW has taken the initiative to introduce a number of benefits for the Awardees' development and career progression with the active support and cooperation of the Government of India. These include the following:

---

†Origirtal notice of the question was received in Hindi.
††The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Prema Canappa.

(i) The Ministry of Health & Family Welfare reserves seats in MBBS (maximum of two in a year)

(ii) The Ministry of Human Resource Development, Department of Education reserves seats in Diploma and Degree courses in Engineering (maximum three each in a year) for the Awardees.

(iii) The Ministry of Railways provides free rail travel facilities upto 18 years of age.

In addition ICCW provides the following facilities for the development of the Awardees.

(iv) Eligible Awardees are granted financial assistance for their school education under ICCW's Sponsorship programme. The criteria is that the total family income of the Awardee should not exceed Rs.2500/- per month.

(v) In the case of posthumous Awardees, there is a provision to provide Sponsorship assistance to a school going sibling if eligible under the Sponsorship programme of ICCW.

(vi) Scholarship is provided for higher education such as graduation, engineering, medicine.

(b) Number of Awardees from 2000 to 2004 (last five years) is 114. Facilities being provided to them are as detailed above according to their age, course of study and eligibility.

SHRIMATI PREMA CARIAPPA: Sir, recently, there was a news report from Jammu and Kashmir wherein it is reported that an award winning boy had, under stress of unemployment and poverty, threatened to become a terrorist. It shows the desperation of the youth and, more so, of the boy who had been given the bravery award. I would like to know whether the Government are aware of this media report. If so, I would like to know from the hon. Minister the reaction of the Government in this regard.

श्रीमती कांति सिंह: सभापति जी, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि जम्मू-कश्मीर के मास्टर अब्दुल मजीद, जिन्होंने एक आतंकवादी को पकड़वाया था, को वर्ष 2000 का राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया था। फरवरी 2005 में अब्दुल मजीद ने भारतीय बाल कल्याण परिषद को बताया कि उन्हें आंतकवादी धमकी दे रहे हैं।उन्होंने आई.सी.सी.डब्ल्यू.से पैरा मिलिट्री फोर्स आर्मी में नौकरी दिलवाने के लिए कहा। आई.सी.सी.डब्ल्यू. ने उनके ढाई महीने तक दिल्ली में मुफ्त रहने और खाने-पीने का इंतजाम भी किया। माननीय गृह मंत्री जी ने डायरेक्टर जनरल सी.आर.पी.एफ. दिल्ली पुलिस

कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल जम्मू-कश्मीर से उन्हें नौकरी देने के लिए कई पत्र भी लिखे। अब्दुल मजीद को व्यावसायिक ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव भी रखा गया, किन्तु उन्होंने लेने या किसी अन्य व्यवसाय में जाने से इंकार कर दिया। हिन्दुस्तान में जो खबर आई है कि उनके पास आंतकवादियों का साथ देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है,यह जानकारी जो प्राप्त हुई हैं, निश्चित तौर पर यहां से भी हम लोग प्रयास करेंगे कि वहां की सरकार से इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जाए कि उन्हें क्या-क्या सुविधाएं दी जा सकती है। जिस तरह की उनकी क्वालिफिकेशन होगी या जिस लायक वे होंगे, निश्चित तौर पर उसके लिए पहल किया जाएगा।

SHRIMATI PREMA CARIAPPA: Sir, my second supplementary is this. Sir, according to the answer, the Government has given many concessions to the bravery award-winning children. These include seat reservation in medical colleges, engineering colleges and free railway facilities up to the age of 18. But my pointed question to the hon. Minister is whether the Government will earmark some jobs for such children when they grow up so that they do not have to struggle for jobs as it is happening now. If not, I would like to know the reasons why they cannot earmark some jobs for such children.

श्रीमती कांति सिंह: सर, इस तरह के बहुत सारे बच्चों को हर साल पुरस्कार दिया जाता है। चूंकि यह वीरता पुरस्कार होता है और ऐसी हालत में अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया गया है कि उन्हें नौकरी दी जाए, लेकिन हर सम्भव प्रयास किया जाता है कि हम उन्हें मदद दे सकें।

श्री सभापति: श्री तरलोचन सिंह।

श्री तरलोचन सिंह: सर,माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया हैं, इसमें लिखा है कि इन बच्चों के लिए हर साल जो रिजर्वेशन हैं, वह सिर्फ दो हैं only for two children in the Education Department for engineering and three for other courses. So, it means कि टोटल पांच सालों में 25 बच्चों को आपने यह फैसिलिटी दी है, जबकि ब्रेवरी अवार्ड पाने वाले बच्चों का नम्बर है 114 है। It means कि यह इतना कम हैं कि जब आप हर साल इनकरेज करते है कि ज्यादा-से ज्यादा बच्चे ब्रेवरी अवार्ड में आएं, तो उनके लिए जो फैसिजिटी है,वह बहुत मिनिमम है। मैं एक दूसरी बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि....(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री तरलोचन सिंह: एक मिनट,सर, इसमें इन्होंने कहा है कि जिनकी इन्कम 2500 रूपया महीना है, उन्हीं को यह फैसिलिटी मिलेगी। अब आज के जमाने में 2500 रूपया महीना की जो लिमिट है,वह बहुत कम हैं।

श्री सभापति : ठीक हैं।

श्री मती कांति सिंह: सर, जहां तक उन्हें रिजवेशन देने की बात है, जो वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चे है, उनके लिए मेडिकल कालेज में दो सीटें आरक्षित की गई हैं और इंजिनियरिंग डिप्लोमा की डिग्री प्राप्त करने के लिए 3 सीटें उन्हें दी गई हैं। जिन लोगों के द्वारा अप्लिकेशंस दी जाती है, उन्हें कंसिडर किया जाता है। अभी तक जितने बच्चों ने अप्लिकेशन दिया हैं, उन्हें कंसिडर किया गया है। जो इलिजिबल ही नहीं होंगे, उन्हें यह कैसे दिया जा सकता हैं।

MR. CHAIRMAN: Mr. Narayanasamy, what it your supplementary?

SHRI V. NARAYANASAMY: I did not ask for it, Sir. ....*(Interruptions)....*

MR. CHAIRMAN: Next question.

*628. *[The questioners (Shri Abu Asim Azmi and Shri Amar Singh) were absent. For answer vide page* 30].

*629. *[The questioners (Shri N.R. Govind Rajar) was absent. For answer vide page* 31].

Allocation for elderly persons

*630. SHRI HARISH RAWAT:
SHRI SANTOSH BAGRODIA: ††

Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the number of elderly persons, who need State support for their care and protection, is increasing year after year due to general improvement in health and life expectancy;

(b) if so, the reasons for allocating a meager amount of Rs. 18.79 crore under the Integrated Programme for Eleder Persons Scheme for the year 2004-05;

(c) whether there is any proposal to enhance the allocation for the purpose; and

(d) the details of the services being provided to the elder persons?

THE MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MEIRA KUMAR): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

(a) The absolute number of elder persons (60+ years) is increasing as per the Census data.

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Santosh Bagrodia.